# अध्याय 1: सामान्य

## 1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2012-13 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा **तालिका** 1.1 में उल्लिखित हैं।

**तालिका 1.1**
**राज्स्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | विवरण | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व** | | | | | |
| | • कर राजस्व | 11,655.28 | 13,219.50 | 16,790.37 | 20,399.46 | 23,559.00 |
| | • कर-भिन्न राजस्व | 3,238.45 | 2,741.40 | 3,420.94 | 4,721.65 | 4,673.15 |
| | **योग** | **14,893.73** | **15,960.90** | **20,211.31** | **25,121.11** | **28,232.15** |
| 2 | **भारत सरकार से प्राप्तियां** | | | | | |
| | • विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का हिस्सा[1] | 1,724.62 | 1,774.47 | 2,301.75 | 2,681.55 | 3,062.13 |
| | • सहायता अनुदान | 1,833.96 | 3,257.29 | 3,050.62 | 2,754.93 | 2,339.25 |
| | **योग** | **3,558.58** | **5,031.76** | **5,352.37** | **5,436.48** | **5,401.38** |
| 3 | **राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)** | **18,452.31** | **20,992.66** | **25,563.68** | **30,557.59** | **33,633.53** |
| 4 | **1 की 3 से प्रतिशतता** | **81** | **76** | **79** | **82** | **84** |

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 28,232.15 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 84 *प्रतिशत* था। वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्तियों का शेष 16 *प्रतिशत* भारत सरकार से था।

---

1 विवरण हेतु कृपया विवरणी संख्या 11 देखें-वर्ष 2012-13 के लिए हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे। शीर्ष 0021 के अन्तर्गत आंकड़े-निगम कर से अन्य आय पर कर-क के अन्तर्गत वित्त लेखाओं में बुक किए गए राज्य को दिए गए निवल अर्थागमों के हिस्से-कर राजस्व राज्य द्वारा एकत्रित राजस्व से निकाल दिए गए हैं तथा इस विवरणी में विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से में सम्मिलित किए गए हैं।

**1.1.2** 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण **तालिका 1.2** में दिए गए हैं।

**तालिका 1.2**

**एकत्रित कर राजस्व के विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| **क्र. सं.** | **राजस्व का शीर्ष** | **2008-09** | **2009-10** | **2010-11** | **2011-12** | **2012-13** | **2011-12 से 2012-13 में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/ मूल्य वर्धित कर (वैट) | 8,154.73 | 9,032.37 | 11,082.01 | 13,383.69 | 15,376.58 | (+) 14.89 |
| 2. | राज्य उत्पाद शुल्क | 1,418.53 | 2,059.02 | 2,365.81 | 2,831.89 | 3,236.48 | (+) 14.29 |
| 3. | स्टाम्पस एवं पंजीकरण फीस | | | | | | |
| | स्टाम्पस - न्यायिक | 1,030.90 | 945.91 | 848.09 | 99.76 | 169.19 | (+) 69.60 |
| | स्टाम्पस - गैर-न्यायिक | 267.27 | 341.86 | 1,450.33 | 2,646.35 | 3,043.15 | (+) 14.99 |
| | पंजीकरण फीस | 28.22 | 5.79 | 20.86 | 46.89 | 113.91 | (+) 142.93 |
| 4. | माल एवं यात्रियों पर कर | 370.29 | 391.45 | 387.14 | 429.32 | 470.76 | (+) 9.65 |
| 5. | वाहनों पर कर | 239.30 | 277.07 | 457.36 | 740.15 | 887.29 | (+) 19.88 |
| 6. | बिजली पर कर एवं शुल्क | 106.31 | 119.58 | 130.27 | 166.43 | 191.96 | (+) 15.34 |
| 7. | भू-राजस्व | 8.58 | 9.43 | 10.02 | 10.95 | 12.98 | (+) 18.54 |
| 8. | उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | 31.15 | 37.02 | 38.48 | 44.03 | 56.70 | (+) 28.78 |
| **योग** | | **11,655.28** | **13,219.50** | **16,790.37** | **20,399.46** | **23,559.00** | **(+) 15.49** |

संबंधित विभागों द्वारा वृद्धि के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए गये थे:

- **बिक्रियों, व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट):** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (15 *प्रतिशत*) मुख्यत: सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के कारण थी। तथापि, बृहद् भिन्नताएं अर्थव्यवस्था में उत्पलावकता के कारण थी।

- **राज्य उत्पाद शुल्क:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (14 *प्रतिशत*) मुख्यत: देशी शराब (दे.श.) तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब (भा.नि.वि.श.) के कोटे में वृद्धि तथा इसके साथ-साथ दे.श. तथा भा.नि.वि.श. की लाईसैंस फीस में वृद्धि के कारण थी।

- **स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यत: अचल/चल सम्पत्ति के अधिक दस्तावेजों के पंजीकरण के कारण थी।

- **वाहनों पर कर:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (20 *प्रतिशत*) मुख्यत: इनफोर्समेंट स्टॉफ द्वारा बेहतर चैकिंग तथा कर वसूल करने के लिए अच्छे प्रयास करने के कारण थी।
- **बिजली पर कर एवं शुल्क:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (15 *प्रतिशत*) मुख्यत: विद्युत उपयोगिताओं द्वारा उपभोक्ताओं से अधिक बिजली शुल्क की वसूली के कारण थी।

**1.1.3** 2008 – 09 से 2012 – 13 तक की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए कर – भिन्न राजस्व के विवरण **तालिका 1.3** में इंगित किए गए हैं।

**तालिका 1.3**

**एकत्रित किए गए कर – भिन्न राजस्व के विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | राजस्व का शीर्ष | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2011-12 से 2012-13 में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | शहरी विकास | 884.50 | 133.70 | 974.54 | 1,039.35 | 990.70 | (-) 4.68 |
| 2. | ब्याज प्राप्तियां | 776.28 | 667.88 | 689.34 | 864.96 | 1,058.21[2] | (+) 22.34 |
| 3. | सड़क परिवहन | 645.04 | 699.57 | 761.72 | 852.96 | 999.87 | (+) 17.22 |
| 4. | अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग | 195.97 | 247.49 | 82.59 | 75.53 | 75.49 | (-) 0.05 |
| 5. | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 120.95 | 96.81 | 115.63 | 99.95 | 125.86 | (+) 25.92 |
| 6. | विविध सामान्य सेवाएं | 89.39 | 95.93 | (-) 9.75[3] | 128.49 | 312.30 | (+) 143.05 |
| 7. | बृहद् एवं मध्यम सिंचाई | 74.01 | 218.56 | 202.26 | 583.16 | 139.12 | (-) 76.14 |
| 8. | शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति | 156.10 | 285.10 | 270.37 | 295.72 | 385.43 | (+) 30.34 |
| 9. | पुलिस | 55.22 | 35.11 | 61.53 | 62.64 | 63.73 | (+) 1.74 |
| 10. | वानिकी एवं वन्य जीवन | 40.74 | 56.13 | 44.32 | 39.12 | 41.36 | (+) 5.73 |
| 11. | चिकित्सा एवं जन – स्वास्थ्य | 30.94 | 30.23 | 47.06 | 54.79 | 78.01 | (+) 42.38 |
| 12. | अन्य कर – भिन्न प्राप्तियां | 169.31 | 174.89 | 181.33 | 624.98 | 403.07 | (-) 35.51 |
| **योग** | | **3,238.45** | **2,741.40** | **3,420.94** | **4,721.65** | **4,673.15** | **(-) 1.03** |

2 सिंचाई परियोजना पूंजीगत ब्याज पर ब्याज के दर्ज समायोजन के रूप में ₹ 454.33 करोड़ सम्मिलित हैं।

3 प्राप्तियों से अधिक रिफंड के कारण।

संबंधित विभागों द्वारा भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए गए थे:

- **ब्याज प्राप्तियां:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (22 *प्रतिशत*) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से अधिकतम प्राप्तियों के कारण थी।

- **विविध सामान्य सेवाएं:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (143 *प्रतिशत*) गारंटी फीस से अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किये जाने के बावजूद पिछले वर्ष पर भिन्नताओं के कारण सूचित नहीं किए (नवंबर 2013)।

## 1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविकों के मध्य विभिन्नताएं

कर एवं कर-भिन्न राजस्व के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वर्ष 2012-13 हेतु बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विभिन्नता **तालिका 1.4** में दी गई है।

**तालिका 1.4**
**बजट अनुमानों तथा वास्तविकों के विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | राजस्व का शीर्ष | बजट अनुमान | वास्तविक प्राप्तियां | विभिन्नता वृद्धि(+)/कमी (-) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|
| • | **कर राजस्व** | | | | |
| 1. | बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट | 16,450.00 | 15,376.58 | (-) 1,073.42 | (-) 7 |
| 2. | राज्य उत्पाद शुल्क | 3,000.00 | 3,236.48 | (+) 236.48 | (+) 8 |
| 3. | स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस | 3,000.00 | 3,326.25 | (+) 326.25 | (+) 11 |
| 4. | वाहनों पर कर | 750.00 | 887.29 | (+) 137.29 | (+) 18 |
| 5. | बिजली पर कर एवं शुल्क | 160.00 | 191.96 | (+) 31.96 | (+) 20 |
| 6. | भू-राजस्व | 15.28 | 12.98 | (-) 2.30 | (-) 15 |
| 7. | उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर एवं शुल्क | 48.00 | 56.70 | (+) 8.70 | 18 |
| 8. | माल एवं यात्रियों पर कर-स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर | 450.00 | 470.76 | (+) 20.76 | (+) 5 |
| • | **कर-भिन्न राजस्व** | | | | |
| 1. | अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग | 225.00 | 75.49 | (-) 149.51 | (-) 66 |
| 2. | वानिकी एवं वन्य जीवन | 45.00 | 41.36 | (-) 3.64 | (-) 8 |
| 3. | पानी की दरें (मध्यम सिंचाई) | 6.76 | 8.20 | (+) 1.44 | (+) 21 |
| 4. | ब्याज प्राप्तियां | 1,080.04 | 1,058.21 | (-) 21.83 | (-) 2 |
| 5. | शहरी विकास | 1,150.00 | 990.70 | (-) 159.30 | (-) 14 |
| 6. | पुलिस | 83.22 | 63.73 | (-) 19.49 | (-) 23 |
| 7. | चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | 109.63 | 78.01 | (-) 31.62 | (-) 29 |
| 8. | लोक निर्माण | 15.40 | 10.22 | (-) 5.18 | (-) 34 |

विभागों द्वारा यथा प्रस्तुत बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विभिन्नताओं के कारण नीचे उल्लिखित हैं:

- **स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (11 *प्रतिशत*) अचल सम्पत्ति के अधिक लेन-देनों के कारण थी।
- **वाहनों पर कर:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (18 *प्रतिशत*) इनफोर्समेंट स्टाफ द्वारा बेहतर चैकिंग तथा कर वसूलने के प्रयास करने के कारण थी।
- **भू-राजस्व:** राजस्व प्राप्तियों में कमी (15 *प्रतिशत*) नामांतरण फीस, नकल फीस तथा राजस्व तलबाना[4] की कम वसूली के कारण थी।
- **वानिकी एवं वन्य जीवन:** राजस्व प्राप्तियों में कमी (8 *प्रतिशत*) सड़कों को चौड़ा करने हेतु पेड़ों की कम कटाई पेड़ों के क्षेत्र कम होने के कारण थी।
- **शहरी विकास:** राजस्व प्राप्तियों में कमी (14 प्रतिशत) 2012-13 के दौरान लाईसैंस फीस के अधिक रिफंड के कारण थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किए जाने के बावजूद बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में विभिन्नता के कारण सूचित नहीं किए (नवंबर 2013)।

## 1.3 मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण की लागत

2010-11 से 2012-13 तक के वर्षों के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों के सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2011-12 हेतु सकल संग्रहण हेतु संग्रहण के व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता **तालिका 1.5** में उल्लिखित है।

**तालिका 1.5**
**मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण की लागत**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | राजस्व का शीर्ष | वर्ष | सकल संग्रहण | संग्रहण पर व्यय | सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता | वर्ष 2011-12 हेतु अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट | 2010-11 | 11,082.01 | 87.82 | 0.79 | 0.83 |
| | | 2011-12 | 13,383.69 | 87.65 | 0.65 | |
| | | 2012-13 | 15,376.58 | 95.85 | 0.62 | |
| 2. | राज्य उत्पाद शुल्क | 2010-11 | 2,365.81 | 21.57 | 0.91 | 2.98 |
| | | 2011-12 | 2,831.89 | 22.39 | 0.79 | |
| | | 2012-13 | 3,236.48 | 23.87 | 0.74 | |
| 3. | स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस | 2010-11 | 2,319.28 | 11.39 | 0.49 | 1.89 |
| | | 2011-12 | 2,793.00 | 11.57 | 0.41 | |
| | | 2012-13 | 3,326.25 | 11.70 | 0.35 | |
| 4. | वाहनों पर कर | 2010-11 | 457.36 | 13.38 | 2.93 | 2.96 |
| | | 2011-12 | 740.15 | 13.07 | 1.77 | |
| | | 2012-13 | 887.29 | 14.39 | 1.62 | |

**स्रोत:** **वित्त लेखे।**

4 सम्मन भिजवाने हेतु प्रभार।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि सभी करों के संबंध में संग्रहण की लागत उनमें से प्रत्येक में अखिल भारतीय औसत से कम थी।

## 1.4 कुल बकायों तथा पांच वर्षों से अधिक बकायों के संबंध में राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के संबंध में राजस्व के बकाया, जैसा विभागों द्वारा प्रतिवेदित किया गया, ₹ 4,486.51 करोड़ के थे, जिनमें से ₹ 3,166.09 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जैसा कि **तालिका 1.6** में उल्लिखित है।

**तालिका 1.6**
**पांच वर्षों से अधिक के राजस्व का बकाया**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | राजस्व का शीर्ष | 31 मार्च 2013 को बकाया राशि | 31 मार्च 2013 को पांच वर्षों से अधिक हेतु बकाया राशि | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट | 3,899.19 | 2,895.03 | उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 597.28 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी, ₹ 9.87 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण स्थागित किए गए थे। ₹ 19.28 करोड़ व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोके गए थे, ₹ 43.71 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु प्रस्तावित थे, ₹ 139.33 करोड़ परिशोधन, समीक्षा तथा अपील के कारण रोके गए थे। सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनः कल्पन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास लम्बित मामलों के कारण ₹ 170.47 करोड़ की वसूली बकाया थी। ₹ 2.71 करोड़ की वसूली किश्तों में की जा रही थी। ₹ 2,916.54 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी। |
| 2. | राज्य उत्पाद शुल्क | 132.85 | 85.05 | ₹ 13.38 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थागित की गई थी। ₹ 42.90 लाख बट्टे खाते डालने हेतु संभावित थे। सरकारी परिसमापक/बी.आई.एफ.आर. के पास लम्बित प्रकरणों के कारण ₹ 4.97 करोड़ की वसूली बकाया थी। ₹ 1.43 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 15.17 करोड़ तथा ₹ 9.65 करोड़ अन्तर्राज्य तथा अन्तरजिला बकायों के कारण थे। ₹ 1.81 लाख रिव्यू/रैक्टीफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए रोके गए थे। ₹ 87.80 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी। |

| क्र.सं. | राजस्व का शीर्ष | 31 मार्च 2013 को बकाया राशि | 31 मार्च 2013 को पांच वर्षों से अधिक हेतु बकाया राशि | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|
| 3. | बिजली पर कर एवं शुल्क | 140.67 | 85.07 | ₹ 1 करोड़ मैसर्ज हरियाणा कनकास्ट, हिसार, ₹ 38 लाख मैसर्ज रामा फाईबरज, भिवानी, ₹ 30 लाख मैसर्ज दादरी सीमेंटस चरखी दादरी तथा ₹ 16 लाख मैसर्ज कम्पीटैंट एलोइज, बल्लभगढ़ से वसूलनीय थे। ₹ 138.83 करोड़ की बकाया राशि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.)/उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) के उपभोक्ताओं की ओर लम्बित थी। |
| 4. | यात्री एवं माल पर कर | 51.32 | 18.03 | ₹ 8.05 लाख की राशि उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, ₹ 27,000 की राशि बट्टे खाते डाली गई थी तथा ₹ 51.24 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी। |
| | स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर) | 209.95 | 47.40 | ₹ 163.15 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय, न्यायिक तथा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 35.25 लाख की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 46.45 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी। |
| 5. | पुलिस | 12.91 | 8.11 | ₹ 7.38 करोड़ की वसूली भारतीय तेल निगम से बकाया थी तथा ₹ 29 लाख की वसूली भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.) से बकाया थी, ₹ 44.68 लाख चार राज्यों[5] से बकाया थे तथा शेष ₹ 4.79 करोड़ चुनाव ड्यूटी के डिप्लायमेंट चार्जिज के संबंध में तीन अन्य राज्यों[6] से वसूलनीय थे। |
| 6. | उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क<br>• मनोरंजन शुल्क तथा प्रदर्शन कर के अन्तर्गत प्राप्तियां | 14.12 | 13.56 | ₹ 13.78 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 1.26 लाख बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे। ₹ 32.59 लाख की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी। |

5 गुजरात: ₹ 1.24 लाख, पंजाब: ₹ 2.33 लाख, उत्तर प्रदेश: ₹ 39.55 लाख तथा पश्चिम बंगाल: ₹ 1.56 लाख।

6 आंध्र प्रदेश: ₹ 42.28 लाख, केरल: ₹ 1.89 लाख तथा उत्तर प्रदेश: ₹ 4.35 करोड़।

| क्र.सं. | राजस्व का शीर्ष | 31 मार्च 2013 को बकाया राशि | 31 मार्च 2013 को पांच वर्षों से अधिक हेतु बकाया राशि | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|
| 7. | अलौह खनन एवं धातु कर्मीय उद्योग | 25.50 | 13.84 | ₹ 16.51 करोड़ की मांगें वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत थी। ₹ 58.04 लाख की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 1.31 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने सम्भावित थे। ₹ 4.98 करोड़ अन्तर्राज्य तथा अन्तर जिला बकायों के रूप में देय थे। ₹ 2.12 करोड़ किस्तों में वसूल किए जाने थे। |
| | **योग** | **4,486.51** | **3,166.09** | |

तालिका से यह देखा जा सकता है कि ₹ 3,166.09 करोड़ की वसूली पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया है तथा उसे वसूल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे थे। अन्य विभागों के संबंध में 2012-13 के अन्त तक राजस्व के बकायों की स्थिति आग्रह किए जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं की गई थी (नवंबर 2013)।

## 1.5 संग्रहण का विश्लेषण

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा यथा प्रस्तुत वर्ष 2012-13 के दौरान बिक्री कर/वैट प्रकरणों के पूर्व-निर्धारण चरण पर कुल संग्रहण तथा नियमित निर्धारणों के पश्चात् का विघटन तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े **तालिका 1.7** में उल्लिखित हैं।

**तालिका 1.7**
**संग्रहण का विश्लेषण**

**(₹ करोड़ में)**

| राजस्व का शीर्ष | वर्ष | पूर्व-निर्धारण चरण पर संगृहीत राशि | नियमित निर्धारण के पश्चात् संगृहीत राशि | करों एवं शुल्कों के भुगतान में विलंब हेतु जुर्माना | प्रत्यर्पित राशि | विभाग के अनुसार निवल संग्रहण (3+4+5-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट | 2008-09 | 8,132.08 | 470.14 | 58.28 | 101.34 | 8,559.16 |
| | 2009-10 | 9,973.05 | 393.21 | 1.24 | 133.09 | 10,234.41 |
| | 2010-11 | 11,224.83 | 2,022.92 | 1.17 | 623.04 | 12,625.88 |
| | 2011-12 | 14,286.78 | 417.66 | 7.48 | 603.72 | 14,108.20 |
| | 2012-13 | 15,556.42 | 419.44 | 8.69 | 654.87 | 15,329.68 |

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पूर्व-निर्धारण चरण पर संगृहीत राजस्व कुल राजस्व संग्रहण के 90 प्रतिशत से अधिक था।

## 1.6 कर का अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के प्रकरणों, अन्तिमकृत मामलों तथा उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया, **तालिका 1.8** में दिए गए हैं।

**तालिका 1.8**

| विभाग के प्रमुख | 31 मार्च 2012 को लम्बित मामले | वर्ष 2012 – 13 के दौरान पता लगाए गए मामले | कुल (2 + 3) | मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पड़ताल पूर्ण हुई तथा वर्ष 2012 – 13 के दौरान पैनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई | | 31 मार्च 2013 को लम्बित मामलों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मामलों की संख्या | (₹ करोड़ में) | |
| बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट | 55 | 1,955 | 2,010 | 1,936 | 8.48 | 74 |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 821 | 2,094 | 2,915 | 2,251 | 1.51 | 664 |
| यात्री एवं माल पर कर | 1,153 | 9,189 | 10,342 | 9,034 | 8.70 | 1,308 |
| **कुल** | **2,029** | **13,238** | **15,267** | **13,221** | **18.69** | **2,046** |

उपयुर्क्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या से थोड़ी सी बढ़ गई है।

## 1.7 रिफंड मामलों की लंबनता

वर्ष 2012 – 13 के आरम्भ में लम्बित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या, जैसा कि संबंधित विभागों द्वारा सूचित की गई, **तालिका 1.9** में दी गई है।

**तालिका 1.9**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | दावों के विवरण | बिक्री कर/वैट | | राज्य उत्पाद शुल्क | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि |
| 1. | वर्ष के आरंभ में बकाया दावे | 384 | 107.24 | 12 | 0.15 |
| 2. | वर्ष के दौरान प्राप्त दावे | 2,932 | 653.33 | 1,214 | 16.09 |
| 3. | वर्ष के दौरान किए गए रिफंड | 2,942 | 665.30 | 1,203 | 15.90 |
| 4 | वर्ष के अंत में बकाया शेष | 374 | 95.27 | 23 | 0.34 |

हरियाणा बिक्री कर तथा हरियाणा वैट अधिनियम के अंतर्गत यदि अतिरिक्त राशि आदेश के 90 दिनों के भीतर डीलर को रिफंड नहीं की जाती है तो प्रति माह एक प्रतिशत की दर पर ब्याज तथा उसके बाद जब तक रिफंड नहीं किया जाता तब तक दो प्रतिशत की दर पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान है। विभाग ब्याज देयता से बचने के लिए रिफंड मामलों का भुगतान तुरंत कर सकता है।

## 1.8 लेखापरीक्षा के प्रति सरकारी विभागों का उत्तर

### 1.8.1 उत्तरदायित्व पर बल देने तथा राज्य सरकार के हित की रक्षा करने में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा (प्र.म.ले.) नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित के अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच एवं महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान पता लगाई गई तथा स्थल पर समायोजित न की गई अनियमितताओं को सम्मिलित कर निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) से अनुवर्तित किए जाते हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को, अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों सहित, शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु, जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार द्वारा, नि.प्र. में सम्मिलित अभ्युक्तियों की शीघ्र अनुपालना की जानी तथा त्रुटियों एवं चूकों का सुधार किया जाना तथा नि.प्र. जारी किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर प्र.म.ले. को प्रारम्भिक उत्तर के माध्यम से अनुपालना सूचित की जानी अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को सूचित की जाती हैं। इनमें से कुछ प्रत्येक वर्ष विधान सभा को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) के माध्यम से सूचित की जाती हैं। विभागों को, उनके उत्तर लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) को प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया जाता है जो अपनी बैठकों में उनकी जांच करती है तथा अपनी रिपोर्टें राज्य विधान सभा को देती है।

दिसम्बर 2012 तक जारी नि.प्र. ने प्रकट किया कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़ों के साथ नीचे **तालिका 1.10** में उल्लिखितानुसार जून 2013 के अन्त में 1,890 नि.प्र. से संबंधित ₹ 1,871.65 करोड़ से आवेष्टित 4,464 अनुच्छेद बकाया रहे।

**तालिका 1.10**

| | जून 2011 | जून 2012 | जून 2013 |
|---|---|---|---|
| दावों के लिए बकाया नि.प्र. की संख्या | 2,313 | 2,268 | 1,890 |
| बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या | 4,734 | 4,507 | 4,464 |
| आवेष्टित राशि (₹ करोड़ में) | 1,484.56 | 1,023.95 | 1,871.65 |

30 जून 2013 को बकाया नि.प्र. तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और आवेष्टित राशि के विभाग-वार विवरण **तालिका 1.11** में दिए गए हैं।

**तालिका 1.11**

| क्र.सं. | विभाग का नाम | प्राप्तियों की प्रकृति | बकाया नि.प्र. की संख्या | बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या | आवेष्टित धन मूल्य (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आबकारी एवं कराधान | बिक्री कर/वैट | 307 | 1,672 | 1,691.98 |
| | | राज्य उत्पाद शुल्क | 102 | 183 | 67.79 |
| | | माल एवं यात्रियों पर कर | 149 | 277 | 18.81 |
| | | मनोरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर | 18 | 20 | 10.95 |
| 2. | राजस्व | स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस | 771 | 1,567 | 55.52 |
| | | भू-राजस्व | 127 | 186 | 0.50 |
| 3. | परिवहन | वाहनों पर कर | 301 | 413 | 9.49 |
| 4. | विद्युत | बिजली पर कर एवं शुल्क | 8 | 8 | 0.46 |
| 5. | खदान एवं भू-विज्ञान | अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग | 107 | 138 | 16.15 |
| **योग** | | | **1,890** | **4,464** | **1,871.65** |

नि.प्र. के निर्गम की तारीख से चार सप्ताह के अंदर कार्यालयों के अध्यक्षों से प्राप्त किए जाने अपेक्षित प्रथम उत्तर भी दिसम्बर 2012 तक जारी 112 नि.प्र. के संबंध में प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण नि.प्र. की यह लम्बनता इस तथ्य का सूचक है कि कार्यालयों के अध्यक्ष तथा विभागों के अध्यक्ष नि.प्र. में प्र.म.ले. द्वारा इंगित की गई त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए कार्रवाई आरंभ करने में विफल रहे।

**यह सिफारिश की जाती है कि सरकार, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर हेतु प्रभावी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए उपयुक्त कदम उठा सकती है। सरकार, उन अधिकारियों/कर्मचारियों, जो निर्धारित समय सूचियों के अनुसार नि.प्र./अनुच्छेदों के उत्तर भेजने में विफल रहते हैं तथा उनके भी, जो समयबद्ध ढंग से हानि/बकाया मांग वसूल करने की कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, के विरूद्ध कार्रवाई कर सकती है।**

### 1.8.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने अनुच्छेदों सहित नि.प्र. में अनुच्छेदों के निपटान की प्रगति को मानीटर एवं तीव्र करने के लिए सितम्बर 1985 में लेखापरीक्षा समितियां गठित की। लेखापरीक्षा समितियां प्रत्येक प्रशासनिक विभाग के लिए बनाई जानी चाहिए जिसमें प्रशासनिक सचिव (चेयरमैन), उप-महालेखाकार (संयोजक) तथा विभाग के अध्यक्ष (सदस्य) शामिल किए जाने चाहिए। लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के निपटान की प्रगति की समीक्षा करने तथा इस बारे में कार्य की गति को मानीटर करने के लिए इन समितियों की बैठकें तीन माह में एक बार आयोजित की जानी चाहिए। मुख्य सचिव ने भी तिमाही आधार पर विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का

आयोजन सुनिश्चित करने तथा ऐसी बैठकों के परिणाम वित्त विभाग को सूचित करने के लिए प्रशासनिक सचिवों पर दबाव डाला है (अगस्त 1998)।

हमने देखा कि प्रशासनिक सचिव ने वर्ष 2012-13 के दौरान विभागीय लेखापरीक्षा समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन सुनिश्चित नहीं किया।

वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निपटाए गए अनुच्छेदों के विवरण **तालिका 1.12** में उल्लिखित हैं।

**तालिका 1.12**

| राजस्व का शीर्ष | आयोजित बैठकों की संख्या | निपटाए गए अनुच्छेदों की संख्या | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प शुल्क | 1 | 31 | 2.21 |
| बिक्रियों व्यापार आदि पर कर/वैट | 2 | 36 | 2.15 |
| राज्य आबकारी | 2 | 15 | 1.54 |
| **योग** | **5** | **82** | **5.90** |

2012-13 के दौरान, कर तथा कर-भिन्न राजस्व के नौ मुख्य शीर्षों से संव्यवहार करने वाले नौ विभागों में से, मात्र तीन ने लेखापरीक्षा समिति की पांच बैठकें आयोजित की थी। इस प्रकार, ये विभागीय लेखापरीक्षा समितियां प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहीं हैं क्योंकि अधिकतर सरकारी विभागों द्वारा इन बैठकों के माध्यम से लम्बित लेखापरीक्षा अनुच्छेदों/आपत्तियों का समापन/निपटान आरम्भ नहीं किया गया था।

**सरकार को, प्रभावी प्रगति के लिए समितियों की आवधिक बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करना चाहिए।**

### 1.8.3 अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (डी.ई.टी.सी.) के कार्यालयों में वैट प्राप्तियों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से अग्रिम में तैयार कर लिया जाता है तथा लेखापरीक्षा के आरंभ से सामान्यत: एक माह पहले विभाग को लेखापरीक्षा जांच हेतु संबंधित अभिलेख तैयार रखने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु सूचनाएं जारी की जाती हैं।

2012-13 के दौरान, दो डी.ई.टी.सीज से संबंधित 4,698 वैट निर्धारण मामलों में से 83 मामले लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। इस प्रकार, ₹ 8.75 करोड़ के राजस्व से आवेष्टित वैट निर्धारण मामलों की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी। इन मामलों का ब्रेकअप **तालिका 1.13** में दिया गया है।

तालिका 1.13

| डी.ई.टी.सी. का नाम | वर्ष, जिसमें इसकी लेखापरीक्षा की जानी थी | लेखापरीक्षा न किए गए निर्धारण मामलों की संख्या | उन मामलों की संख्या जिनमें आवेष्टित राजस्व का पता लगाया जा सका | आवेष्टित राजस्व (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| पानीपत | 2012-13 | 68 | 68 | 8.12 |
| जगाधरी | 2012-13 | 15 | 15 | 0.63 |
| | **योग** | **83** | **83** | **8.75** |

### 1.8.4 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर

वित्त विभाग ने 5 जनवरी 1982 को सभी विभागों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अपने उत्तर छः सप्ताह के अन्दर भेजने हेतु निर्देश जारी किए थे। प्र.म.ले. द्वारा प्रारूप अनुच्छेदों को, अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से संबंधित विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा परिणामों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह के भीतर उनके उत्तर भेजने हेतु उनको अनुरोध करते हुए अग्रेषित किया जाता है। विभागों से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेद के अन्त में निरपवाद रूप से इंगित किया जाता है।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर) में शामिल करने के लिए प्रस्तावित 25 प्रारूप अनुच्छेद एवं दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं, संबंधित विभागों के सचिवों को अप्रैल से सितंबर 2013 के दौरान अर्ध-शासकीय पत्रों के माध्यम से अग्रेषित किए गए थे। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था तथापि, 23 अनुच्छेदों तथा एक निष्पादन लेखापरीक्षा पर एग्जिट कांफ्रेंस में चर्चा की गई थी तथा उत्तर उपयुक्त रूप से शामिल कर लिए गए हैं।

### 1.8.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्तूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में दोहराए गए निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों को, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि लो.ले.स. द्वारा जांच हेतु मामले उठाए गए थे अथवा नहीं, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर) में प्रस्तुत सभी अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर स्वतः सकारात्मक तथा ठोस कार्रवाई आरम्भ करनी अपेक्षित थी। उन्हें, विधानसभा को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित अथवा की गई उपचारात्मक कार्रवाई इंगित करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् जांच की गई विस्तृत टिप्पणियों को भी प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

अनुच्छेदों, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट किए गए हैं तथा जिन पर 30 सितंबर 2013 को चर्चा लम्बित थी, की स्थिति **अनुलग्नक I** में उल्लिखित है। 2008-09 से 2011-12 तक की अवधि से संबंधित बयासी (82) अनुच्छेद लो.ले.स. द्वारा चर्चा हेतु लम्बित थे। प्रशासनिक विभाग, विधान सभा को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण[7] की तारीख से तीन

7 2008-09: मार्च 2010, 2009-10: मार्च 2011, 2010-11: मार्च 2012 तथा 2011-12: 11 मार्च 2013.

माह के भीतर 82 अनुच्छेदों में से 30 के संबंध में कृत कार्रवाई टिप्पणियां (कृ.का.टि.) प्रस्तुत करने में विफल रहे।

आगे, लो.ले.स. की अनुशंसाओं के प्रति प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया प्रोत्साहक नहीं थी क्योंकि 1979-80 से 2007-08 तक की अवधि से संबंधित 740 अनुशंसाएं संबंधित विभागों द्वारा अन्तिम कार्रवाई न किए जाने के कारण अब तक लम्बित थीं **(अनुलग्नक II)**।

### 1.8.6 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

2007-08 से 2011-12 के बीच के वर्षों के दौरान विभागों/सरकार ने ₹ 2,107.11 करोड़ के राजस्व से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 10.72 करोड़ की राशि 31 मार्च 2013 तक वसूल की गई थी जैसा कि **तालिका 1.14** में विवरण दिया गया है।

**तालिका 1.14**

**(₹ करोड़ में)**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | कुल धन मूल्य | स्वीकृत धन मूल्य | की गई वसूली |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 122.75 | 29.65 | 1.93 |
| 2008-09 | 82.74 | 75.64 | 0.70 |
| 2009-10 | 346.97 | 72.76 | 3.42 |
| 2010-11 | 324.73 | 183.13 | 4.05 |
| 2011-12 | 1,746.01 | 1,745.93 | 0.62 |
| **योग** | **2,623.20** | **2,107.11** | **10.72** |

स्वीकृत प्रकरणों के संबंध में वसूली मात्र 0.51 *प्रतिशत* थी, जिसने वसूलियां करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई की कमी इंगित की।

**सरकार, संबंधित विभागों को तत्काल वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए परामर्श दे सकती है।**

## 1.9 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा नि.प्र./लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का जवाब देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क) के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेद 1.9.1 से 1.9.2.2 में गत 10 वर्षों के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पता लगाए गए मामलों के साथ निपटने में आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क) के निष्पादन पर तथा 2003-04 से 2011-12 तक के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर भी चर्चा की गई है।

### 1.9.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य आबकारी) के विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षणों के दौरान पता लगाई गई अनियमितताओं को सम्मिलित करके नि.प्र. तत्पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों/अगले उच्चतर प्राधिकारियों को जारी की जाती हैं। कार्यालयों के अध्यक्षों/विभाग/सरकार से नि.प्र. में समाविष्ट अभ्युक्तियों की अनुपालना तथा त्रुटियों एवं चूकों को तत्परता से सुधारने की अपेक्षा की जाती है। उनके द्वारा नि.प्र. के निर्गम की तारीख से चार सप्ताह के भीतर प्र.म.ले. को प्रारंभिक उत्तर के माध्यम से अनुपालना सूचित की जानी भी अपेक्षित थी। गंभीर वित्तीय अनियतिताएं भी, जांच एवं तत्पर कार्रवाई करने और उन पर टिप्पणियां, यदि कोई हो, अग्रिम पैरा के निर्गम की तारीख से छः सप्ताह के भीतर देने हेतु अर्ध-सरकारी पत्र के माध्यम से विभागाध्यक्ष (आबकारी एवं कराधान आयुक्त) तथा सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं। छः सप्ताह के भीतर उत्तर प्राप्त न होने के मामले में नि.प्र. की निर्गम की तारीख से 50 दिनों के पश्चात् तथा उसके बाद प्रत्येक माह अनुस्मारक जारी किए जाते हैं। प्रशासनिक विभाग तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त को बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अर्ध-वार्षिक स्थिति भी अर्ध-सरकारी पत्र के माध्यम से जारी की जाती है।

गत 10 वर्षों के दौरान जारी की गई नि.प्र., इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा मार्च 2013 को उनकी स्थिति **तालिका 1.15** में दी गई है।

**तालिका 1.15**

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | आरम्भिक शेष | | | वर्ष के दौरान वृद्धि | | | वर्ष के दौरान निपटान | | | वर्ष के दौरान अंत शेष | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नि.प्र. | पैराग्राफ | धन मूल्य | नि.प्र. | पैराग्राफ | धन मूल्य | नि.प्र. | पैराग्राफ | धन मूल्य | नि.प्र. | पैराग्राफ | धन मूल्य |
| 2003-04 | 115 | 196 | 135.86 | 15 | 27 | 20.16 | 13 | 20 | 19.02 | 117 | 203 | 137.00 |
| 2004-05 | 117 | 203 | 137.00 | 17 | 33 | 23.79 | 20 | 30 | 23.11 | 114 | 206 | 137.68 |
| 2005-06 | 114 | 206 | 137.68 | 13 | 22 | 10.73 | 11 | 28 | 13.04 | 116 | 200 | 135.37 |
| 2006-07 | 116 | 200 | 135.37 | 09 | 11 | 5.27 | 19 | 34 | 12.58 | 106 | 177 | 128.06 |
| 2007-08 | 106 | 177 | 128.06 | 21 | 39 | 15.33 | 16 | 28 | 18.23 | 111 | 188 | 125.16 |
| 2008-09 | 111 | 188 | 125.16 | 34 | 65 | 20.92 | 25 | 45 | 74.50 | 120 | 208 | 71.58 |
| 2009-10 | 120 | 208 | 71.58 | 36 | 55 | 11.04 | 40 | 92 | 23.70 | 116 | 171 | 58.92 |
| 2010-11 | 116 | 171 | 58.92 | 19 | 60 | 29.07 | 30 | 53 | 17.48 | 105 | 178 | 70.51 |
| 2011-12 | 105 | 178 | 70.51 | 14 | 33 | 4.89 | 13 | 33 | 20.30 | 106 | 178 | 55.10 |
| 2012-13 | 106 | 178 | 55.10 | 27 | 80 | 20.87 | 34 | 87 | 13.28 | 99 | 171 | 62.69 |

नि.प्र., अनुच्छेदों तथा आवेष्टित राशि के अंत शेष के वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक – III** में दिए गए हैं। 99 नि.प्र. में ₹ 62.69 करोड़ के राजस्व से आवेष्टित 171 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से 27 नि.प्र. में ₹ 32.46 करोड़ (52 *प्रतिशत*) के राजस्व से आवेष्टित 35 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां पांच वर्ष से अधिक पुरानी थी।

हमने देखा कि आवधिक अनुस्मारक जारी करने तथा लेखापरीक्षा समिति की आवधिक बैठकों के आयोजन के बावजूद नि.प्र./लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की भारी लम्बनता थी जो नि.प्र. में प्र.म.ले. द्वारा इंगित की गई त्रुटियों, चूकों एवं अनियमितताओं को दूर करने के लिए कार्रवाई आरंभ करने में कार्यालयाध्यक्षों/आबकारी एवं कराधान आयुक्त तथा प्रशासनिक विभाग की ओर से विफलता की सूचक है।

यह सुनिश्चित करने हेतु कि देय राजस्व वसूल करने हेतु कार्रवाई कालबाधित न हो, सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाए कि:

- लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर भेजने हेतु प्रभावी प्रक्रिया विद्यमान है;
- लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर उपयुक्त कार्रवाई आरंभ करने के बाद लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का शीघ्रातिशीघ्र निपटान करवाने हेतु प्रभावी कदम उठाने में विफल कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है; तथा
- हानि/बकाया मांगों को वसूल करने हेतु समयबद्ध ढंग से कार्रवाई की जाती है।

## 1.9.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में चिह्नित किए गए मामलों पर विभाग/सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन

### 1.9.2.1 स्वीकृत मामलों की वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये तथा वसूली गई राशि की स्थिति **तालिका 1.16** में दी गई है:

**तालिका 1.16**

**(₹ करोड़ में)**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या | अनुच्छेद का धन मूल्य | स्वीकृत अनुच्छेदों की संख्या | स्वीकृत अनुच्छेदों का धन मूल्य | वर्ष के दौरान वसूली गई राशि | स्वीकृत मामलों की वसूली की संचित स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | 2 | 1.45 | 2 | 1.45 | 1 | 0.21 |
| 2003-04 | 1 | 11.36 | 1 | 11.36 | - | - |
| 2004-05 | 4 | 2.90 | 4 | 2.90 | 2 | 0.08 |
| 2005-06 | - | - | - | - | - | - |
| 2006-07 | 2 | 0.48 | 2 | 0.48 | 1 | 0.01 |
| 2007-08 | 2 | 1.23 | 2 | 1.23 | 1 | 0.03 |
| 2008-09 | 4 | 2.35 | 4 | 2.35 | 3 | 0.09 |
| 2009-10 | 2 | 5.65 | 2 | 5.65 | 2 | 0.10 |
| 2010-11 | - | - | - | - | - | - |
| 2011-12 | 3 | 4.75 | 3 | 4.75 | 1 | 0.05 |
| **योग** | **20** | **30.17** | **20** | **30.17** | **11** | **0.57** |

गत दस वर्षों के स्वीकृत प्रकरणों के संबंध में वसूली केवल दो *प्रतिशत* थी।

**सरकार तत्काल वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए संबंधित विभागों को परामर्श दे सकती है।**

### 1.9.2.2 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

प्र.म.ले. द्वारा की गई प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षाएं संबंधित विभागों/सरकार को उनकी सूचना हेतु उनके उत्तर 45 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निवेदन के साथ अग्रेषित की जाती हैं। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर एग्जिट कांफ्रेस में भी चर्चा की जाती है तथा विभाग/सरकार के विचार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के लिए निष्पादन लेखापरीक्षाओं को अन्तिम रूप देते समय शामिल किए जाते हैं।

राज्य उत्पाद शुल्क से संबंधित आबकारी एवं कराधान विभाग पर सिफारिशों सहित निष्पादन लेखापरीक्षाओं में बताए गए मुद्दे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रस्तुत किए गए। विभागाध्यक्ष/सरकार ने राज्य उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु 2003-04 से 2011-12 तक के वर्षों के दौरान भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के दो प्रतिवेदनों में शामिल नौ सिफारिशों (**अनुलग्नक-IV**) पर अपनी स्वीकृति अथवा की गई कोई कार्रवाई सूचित नहीं की थी।

हमने देखा कि आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य आबकारी)/सरकार ने 2003-04 से 2007-08 तक के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं से संबंधित अपने उत्तर लो.ले.स. को भेजे थे। किन्तु उन्होंने वर्ष 2005-06 के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के निष्कर्षों तथा सिफारिशों के स्वीकरण पर अथवा अन्यथा कोई उत्तर नहीं दिया था। उन्होंने 2009-10 से 2011-12 तक के वर्षों के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के लिए लो.ले.स. को उत्तर प्रस्तुत नहीं किए थे।

**सरकार, सिफारिशों की अनुपालना सुनिश्चित करने अथवा उनकी टिप्पणियां, यदि कोई हो, देने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य आबकारी) को परामर्श दे सकती है।**

## 1.10 लेखापरीक्षा आयोजना

विभिन्न विभागों के अधीन यूनिट कार्यालयों को उनके राजस्व अर्जन, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की विगत प्रवृत्तियों इत्यादि के अनुसार उच्च, मध्यम तथा कम जोखिम में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारी राजस्वों तथा कर प्रशासन अर्थात् बजट भाषण, राज्य वित्तों पर श्वेत-पत्र, वित्त आयोग (राज्य तथा केन्द्रीय) के प्रतिवेदन, कराधान सुधार समिति की सिफारिशें, गत पांच वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशेषताएं, गत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा की व्याप्ति तथा इसका प्रभाव इत्यादि, में आलोचनात्मक मुद्दे शामिल होते हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान, 497 लेखापरीक्षा योग्य यूनिटों में से कुल यूनिटों के 53 प्रतिशत की लेखापरीक्षा संघटित करते हुए 265 यूनिटों की योजना बनाई गई तथा लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा योग्य यूनिटों तथा चयनित यूनिटों के विवरण **अनुलग्नक-V** में दर्शाए गए हैं।

ऊपर उल्लिखितानुसार पूर्ण की गई अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं नामत: 'रिमांड और रिविजन मामलों के निपटान में विलंब' तथा 'मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियां' भी इन प्राप्तियों के कर प्रबंधन की क्षमता की जांच करने के लिए ली गई थी।

## 1.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

### 1.11.1 वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/वैट, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, राज्य उत्पाद-शुल्क, मोटर वाहन तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की 265 यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2012-13 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 7,508 मामलों में ₹ 1,735.68 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि प्रकट की। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 2,285 मामलों में आवेष्टित ₹ 19.19 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियां स्वीकार की जिनमें से 2,147 मामलों में आवेष्टित ₹ 9.86 करोड़ 2012-13 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे। विभागों ने पूर्ववर्ती वर्ष के मामलों के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान 207 मामलों में ₹ 1.36 करोड़ संगृहीत किए थे।

### 1.11.2 इस प्रतिवेदन के बारे में

इस प्रतिवेदन में ₹ 636.10 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित कर, शुल्क तथा ब्याज, शास्ति इत्यादि के कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण से संबंधित **'रिमांड और रिविजन मामलों के निपटान में विलंब'** तथा **'मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियों'** पर **दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं** तथा 16 अनुच्छेद शामिल हैं।

विभागों/सरकार ने ₹ 629.33 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 1.75 करोड़ वसूल किए गए हैं। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवंबर 2013)। इन पर अनुवर्ती अध्याय 2 से 6 तक में चर्चा की गई है।